फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री खेमराजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह रावत निवासी चक कालागुन तहसील देवगढ जिला राजसमंद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 58/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.09.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/767–768 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इप्सित बिन्दु संख्या 1 से 3 के अंतर्गत सूचना प्रश्नगत है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांकः प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06/दिनांक 02.02.2009 की बिन्दु सं. 3 के अनुसार नवीन सूचना सृजित करना, सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना आरटीआई के प्रावधानों में नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च),2(झ),2(ञ) में अभिप्रेत सूचना ही देने के आरटीआई एक्ट में प्रावधान है। अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में पत्रांकः 655 दिनांक 26.07.2022 से सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च), 2(झ) में अभिप्रेत सूचना ही देने का आरटीआई एक्ट में प्रावधान होने एवं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांकः प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06/दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना काल्पनिक होने से सूचना सृजित कर उपलब्ध करवाया जाना उचित नहीं होने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)